



लैंगिक असमानता की चुनौतियां

लैंगिक भेदभाव किसी के मन में यकायक उत्पन्न नहीं होता। यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है। महिलाओं के भीतर इस मिथ्या सोच को अंकित करने का निरंतर प्रयास किया जाता है कि महिलाओं का मूल दायित्व परिवार की देखभाल और घरेलू कार्य करना ही है।
लैंगिक असमानता की खाई को पाटने के लिए भारत में निचले स्तर तक काम करना होगा। समाज के हर वर्ग तक यह बात पहुंचानी होगी कि स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव खत्म किया जाए।

»विचार

घरेलू रक्षा उद्योग बढ़ेगा आगे

आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत केंद्र सरकार ने रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है। अब सेना के लिए बंदूक से लेकर मिसाइल देश में बनाई जाएगी। इससे भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी।



रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत अहम घोषणा की है। रक्षा वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए 101 उपकरणों के आयात पर रोक लगाई जाएगी। रक्षा मंत्री ने ट्रीट किया कि जो 101 वस्तुएं विनिहित की गई हैं, उनमें बड़ी बंदूकों से लेकर मिसाइल तक शामिल हैं। रक्षा मंत्री का कहना है कि इस फैसले से भारतीय रक्षा उद्योग को बड़े अवसर मिलेगे। रक्षा मंत्री के मुताबिक, आयात पर रोक लगाने की यह कावायद 2020 से 2024 के बीच पूरी की जाएगी। अनेक वाले वक्त में और वस्तुओं को इस लिस्ट में जोड़ा जा सकता है। घरेलू स्तर पर इन वस्तुओं के उत्पादन की समय सीमा सुनिश्चित हो, इसके लिए भी कदम उठाए जाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस घोषणा का के गंभीर मायने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आत्मनिर्भर भारत की बात कर चुके हैं, यह उस दिन में एक बड़ा कदम है। भारत उन देशों में शामिल हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा हथियारों का आयात करते हैं।

वर्ष 2015-2019 के बीच विदेशों से हथियार आयात करने के मामले में भारत का नंबर सूंदरी अरब के बाद दूसरा था। दुनिया भारत के कुल हथियार आयात में भारत का हिस्सा 9.2 फीसदी है। इससे अद्यावधि लगानी के लिए भारत को इस दिन निर्भरता की जरूरत है। डिफेंस इंडस्ट्री को यह जानना है कि सेनाओं को किन-किन चीजों की जरूरत है। अब तक वह खुद को इसके लिए तैयार कर सके। रक्षा मंत्रालय ने आगे 6-7 साल में घरेलू इंडस्ट्री को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके देने की योजना बनाई है। यह लिस्ट अचानक ही तैयार नहीं हुई, इसके पीछे कई दौर की बाती है।

सेना, नौसेना, वायुसेना के अलावा डीआरडीओ, डिफेंस पीएसयू, ऑर्डरेंस फैक्ट्री गोड़ और प्राइवेट इंडस्ट्री से भी कंसल्ट किया गया है। यानी पूरी तैयारी के बाद ही यह कदम उठाया गया है। देश में किन आर्म्स, इविप्रैमेट्स और एल्टोफॉर्म्स का प्रोडक्शन तेजी से हो सकता है, इसकी जानकारी करने के बाद ही लिस्ट बनाई गई है ताकि फैसले से भारत की रक्षा क्षमता प्रभावित न हो। डिफेंस सेप्टर को लेकर दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता तो कम होगी ही, इस फैसले से डिफेंस इंडस्ट्री में नई जान पूँजी की जाएगी है। सेना की जरूरतों पूरी करने के लिए दूसरे देशों से महंगे दाम पर सामान नहीं मंगाना पड़ेगा, साथ ही तकनीकी सुरक्षा की चिंता भी कम होगी। भारत की तकनीकी दक्षता में इजाफे के साथ-साथ अगर हमारी जरूरतों पूरी होती है तो हम एक्सपोर्ट की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। अब केंद्र सरकार के ताजा फैसले से रक्षा क्षेत्र में प्राइवेट इंडस्ट्री को भी उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

टिक्कटर

रक्षा क्षेत्र में भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता सबसे बड़ा कमजोरी थी। जब हम आयात से ध्यान हटाएं और सेना की जरूरतें खुद पूरी करेंगी, तो असर दिखेगा।

कमर आगा, रक्षा विशेषज्ञ

रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में उत्तरायण यार करना होगा।

मारुफ रजा, रक्षा विशेषज्ञ

सत्यार्थ

एक बार किसी कस्बे में एक महात्माजी पधारे। लोगों ने उनसे प्रवचन देने का आग्रह किया, तो महात्माजी ने कहा- मैं क्या बालू, आप तो सब जानते हैं। जो अच्छा है, उसे करो तो जो बुरा है, उसे मत करो, उसे त्यागो। महात्माजी की इस बात पर वहाँ पौज़ा-लोगों में से एक कहा- महाराज, हम सब बहुत अच्छे बनना चाहते हैं और इसके लिए यथासंभव प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी हम सबसे अच्छे तो दूर, अच्छे भी क्यों नहीं बन पाते? तब महात्माजी ने कहा-हम अपने ऊपर जैसी मोहर

महिलाओं के खिलाफ किसी न किसी तरह का पूर्वाग्रह खरेते हैं। इस अध्ययन से एक महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आई है कि पुरुषों की तरह महिलाएं भी महिलाओं को लेकर पूर्वाग्रहों से ग्रसित हैं। यह तथ्य हैरान करने वाला तो है ही सीधे विचारीय भी है कि क्यों महिलाएं रख्य ही लैंगिक समानता के विरुद्ध खड़ी हैं। पहली नजर में जो बात समझ में आती है, वह यह है कि लैंगिक भेदभाव किसी भी व्यक्ति के मन में यकायक उत्पन्न नहीं होता। यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है। महिलाओं के भीतर इस मिथ्या सोच को अंकित करने का प्रयास किया जाता है कि महिलाओं का मूल दायित्व परिवार और अप्रेक्षित और महिलाएं भी नकारात्मक भूमिका निभाती हैं। यह सच है कि विद्यालय का शिक्षण व्यवहार स्पष्ट और व्यापक रूप से कभी लैंगिक असमानता को समर्थन नहीं करता है, लेकिन विद्यालय में लैंगिक असमानता अदृश्य स्वरूप में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में।

यह सर्वविविदत है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को अधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इनमें जो ज्ञान, सूचना, भाषा आदि प्रयुक्ति होती है, वह लैंगिक भेदभाव को उदायात्मिक करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि दो तर्जों से होती है। पहला अध्ययन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय का है, जो बातात है कि घर में बच्चे के जन्म के बाद से ही लिंग अध्यारित भेदभाव शुरू हो जाता है, जो न सिर्फ बच्चे को मासिक रूप से कमज़ोर बनाता है, अपितु उनके मस्तिष्क को भी कुंद कर देता है। नीतजन बच्चा एक ही दायरे में सोचना शुरू कर देता है। वहीं, दूसरा अध्ययन 'लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2020' का है, जो यह दायरा करता है कि विश्व भर में सूखी पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संभावा न सिर्फ पुरुषों की हुलान में कम है और जिन महिलाओं की छवि दिखायी गई है, वहाँ वह एक लैंगिक विशेषज्ञ भर्ती के लिए जरूरी है कि महिलाओं को पेशेवर के तौर पर ज्यादा से ज्यादा सर्वेक्षण निर्माण करते हैं। विश्व की यह अत्यधिक उत्पन्न विद्यालयों के रूप में।

मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनेस्को) की रिपोर्ट 'जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स' में 75 देशों में अध्ययन किया गया। इन देशों में विश्व की लगाभग 80 फीसद अबादी बसती है। यह अध्ययन बताता है कि लैंगिक असमानता दूर करने के क्षेत्र में पिछले दशकों में हुई प्रगति के बावजूद अब भी 90 फीसद पुरुष एवं महिलाएं ऐसे हैं जो

यह सर्वविविदत है कि पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान को अधिकारिक ज्ञान के रूप में देखा जाता है। इनमें जो ज्ञान, सूचना, भाषा आदि प्रयुक्ति होती है, वह लैंगिक भेदभाव को उदायात्मिक करते हैं। इस तथ्य की पुष्टि दो तर्जों से होती है। पहली नजर में जो बात समझ में आती है, वह यह है कि लैंगिक भेदभाव किसी भी व्यक्ति के मन में यकायक उत्पन्न नहीं होता। यह समाजीकरण की उस निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से ही जन्म लेता है, जो बाल्यकाल से ही आरंभ हो जाती है। महिलाओं के भीतर इस मिथ्या सोच को अंकित करने का प्रयास किया जाता है कि महिलाओं का मूल दायित्व परिवार की प्रेक्षणीय भी देखभाल और घरेलू कार्य करना चाही है। सूखी पाठ्यक्रम की पुष्टि के साथ-साथ विद्यालय का शिक्षण व्यवहार स्पष्ट और व्यापक रूप से लैंगिक असमानता को समर्थन नहीं करता है, लेकिन विद्यालय में लैंगिक असमानता अदृश्य स्वरूप में पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में।

का भी अभिभाव्य अंग बन जाती है, जो यह मानती है कि स्त्री, पुरुष से बहर क्षेत्र में कमतर होती है। इस संपूर्ण सोच की प्रक्रिया को हम 'ब्राइट गर्ल इफेक्ट' कह सकते हैं। हम इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कर सकते कि चूंकि पाठ्यक्रम की पुष्टि के बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा लिखी जाती है, इसलिए उसमें अंकित सभी बातों को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। सदियों से पैठ बनी लैंगिक पूर्वाग्रह की सोच पर आश्वासन रखता रहा है कि विद्यालय का शिक्षण व्यवहार स्पष्ट और व्यापक रूप से लैंगिक असमानता को समर्थन नहीं करता है। यह नितांत आश्वासक हो जाता है कि इस बिंदु पर गहराई से विचार किया जाए। यों तो पिछले वर्ष मानव संसाधन मंत्रालय ने ल्यै-स्कूल के दिशा निर्देशों में लैंगिक समानता की सिफारिश की है। गार्टी शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी प्रॉमोइंसियर्स ने कहा है कि लैंगिक रुद्धियों को एल-स्कूल के स्तर पर ही खाल किया जाना चाहिए, ताकि यह सोच को एसी भाषा से बचना चाहिए। ताकि यह सोच को एसी भाषा से बचना चाहिए। ताकि यह सोच को एसी भाषा से बचना च

